सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 176 राँची, शुक्रवार, 8 मार्च, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

7 मार्च, 2019

संख्या-परि०वि०-357/2011/259-- झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 एवं झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा प्रतिस्थापित उपधारा 7(5) (अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व से निर्धारित दरों को पुनरीक्षित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निदेशित करती है कि झारखंड राज्य के बाहर निबंधित परन्तु सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट के आधार पर झारखंड राज्य में मोटर वाहन चलाने हेतु इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से निम्न तालिका के स्तम्भ 3, 4, 5 एवं 6 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर भुगतेय होगा -

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	7 दिनों की अवधि के लिए कर (रुपये)	7 दिनों से अधिक किन्तु 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए कर (रुपये)	14 दिनों से अधिक किन्तु 30 दिनों से अनधिक अवधि के लिए कर (रुपये)	30 दिनों से अधिक अवधि के लिए कर (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1	**परिवहन वाहन**				
क	32 से अधिक बैठान क्षमता की बस	3600	6600	12000	12000 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
ख	16 से 32 तक बैठान क्षमता की परिवहन वाहन	2900	5300	9600	9600 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
ग	6 से अधिक परन्तु 15 तक बैठान क्षमता के वाहन	2200	4000	7200	7200 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
2	**मोटर कैब**				
क	चार चक्का	300	500	800	800 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
ख	तीन चक्का	100	200	400	400 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
3	**माल वाहक**				
क	ग्रौस वजन 10 टन तक वाहन	750	1100	1700	1700 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
ख	ग्रौस वजन 10 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अनाधिक वाहन	1000	1500	2200	2200 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई

ग	ग्रौस वजन 20 टन से अधिक किन्तु 30 टन से अनाधिक वाहन	1700	2600	4000	4000 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
घ	ग्रौस वजन 30 टन से अधिक किन्तु 40 टन से अनाधिक वाहन	2700	4000	6000	6000 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
ड.	ग्रौस वजन 40 टन से अधिक किन्तु 50 टन से अनाधिक वाहन	4200	6300	9600	9600 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई
च	ग्रौस वजन 50 टन के वाहन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 5 टन का उसके भाग के लिए	4200 जोड़ प्रत्येक 5 टन या उसके भाग के लिए 1000	6300 जोड़ प्रत्येक 5 टन या उसके भाग के लिए 1500	9600 जोड़ प्रत्येक 5 टन या उसके भाग के लिए 2600	9600 जोड़ प्रत्येक 7 दिन या उसके भाग के लिए स्तम्भ 5 में निर्धारित राशि का एक चौथाई

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 176 -- 50